कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव (छ0ग0)

।। निविदा सूचना।।

क्रमांक 807 /निविदा/स्वा0वि0/2016-17 राजनांदगाँव दिनांक 07/11/2016

नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 में विभिन्न वार्डो में विभिन्न वार्डो के सफाई ठेका कार्य हेतु स्थानीय सामुदायिक विकास समिति के अंतर्गत गठित महिला स्व सहायता समूह (बचत साख समूह) से फार्म बी आयटम दर के आधार पर मुहरबंद निविदायें दो लिफाफा पद्धति से पंजीकृत डाक/स्पीड पोस्ट/कुरियर द्वारा अधोहस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय में आमंत्रित करती है। निविदा प्रपत्र निविदाकार को निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि के पूर्व निर्धारित शुल्क जमाकर कार्यालयीन अवधि में प्राप्त किया जा सकता है अथवा वेबसाईट से सीधे निविदा प्रपत्र डाउनलोड कर निविदा प्रपत्र हेतु निर्धारित राशि की अतिरिक्त डिमांड ड्राफ्ट सहित् भरी हुई निविदा में अमानत राशि के साथ प्रेषित कर सकेंगे।

1 निविदा फार्म लेने की अंतिम तिथि - 28/11/2016 शाम 5.00 बजे तक
2 निविदा प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि - 29/11/2016 शाम 5.00 बजे तक
3 निविदा खोलने की अंतिम तिथि - 29/11/2016 शाम 5.00 बजे तक

क.	कार्य का नाम	कर्मचारी की संख्या	प्राक्कलन राशि लाख में मासिक	अमानती राशि (रूपये में)	निविदा प्रपत्र मूल्य (रूपये में)
1	2	3	4	5	6
1	वार्ड क्रमांक 20 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न सहित)	7 कर्मचारी	0.60 हजार	7500.00	750.00
2	वार्ड क्रमांक 47 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न सहित)	5 कर्मचारी	0.45 हजार	6000.00	750.00
3	वार्ड क्रमांक 49 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न सहित)	5 कर्मचारी	0.45 हजार	6000.00	750.00
4	वार्ड क्रमांक 50 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न सहित)	5 कर्मचारी	0.45 हजार	6000.00	750.00
5	वार्ड क्रमांक 51 का सफाई ठेका कार्य कम्पलीट (श्रमिक एवं सफाई सामग्री, सुपरविज़न सहित)	5 कर्मचारी	0.45 हजार	6000.00	750.00

07/11/16

आयुक्त
नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव

Scanned by CamScanner

कार्यालय, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव (छ०ग०)

।।निविदा शर्ते।।

वार्ड कमांक 20, 47, 49, 50, 51 हेतु निविदा की शर्ते निम्नलिखित है :–

1. आहूत निविदा वित्तीय वर्ष 2016–17 (01.12.2016 से 31.03.2017) तक के लिए मान्य होगा। निविदा द्वि लिफाफा पद्धति के माध्यम से स्पीड पोस्ट/कुरियर के द्वारा स्वीकार किये जायेंगे।
2. निविदा में स्थानीय सामुदायिक विकास समिति के अंतर्गत् गठित महिला स्व सहायता समूह ही **(बचत शाख समूह)** ही भाग ले सकेंगे।
3. निविदाकार को अमानती राशि बतौर एफ.डी.आर. आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव के नाम से जमा करना होगा।
4. निविदाकार के देयकों से नियमानुसार आयकर तथा प्रत्येक चलित देयक से सुरक्षा निधि की राशि कटौती की जावेगी। सुरक्षा निधि की वापसी कार्य पूर्ण होने व संतोषजनक होने की स्थिती में वापसी योग्य होगी।
5. असफल निविदाकारों की अमानती राशि प्रथम पक्ष द्वारा अनुबंध उपरांत ही प्रदाय की जा सकेगी।
6. भाग लेने वाले निविदाकार को श्रम नियमों का पालन करना अनिवार्य होगा।
7. सफल निविदाकार को किसी भी प्रकार के श्रम संबंधी विवादों का निपटान स्वयं करना होगा इस संबंध में नगर निगम की जिम्मेदारी नही होगी।
8. सफल निविदाकार का **EPFO** में पंजीयन होना अनिवार्य है।
9. नगर पालिक निगम, समिति का सफाई कार्य का अनुभव होना चाहिए।
10. अनियमितता संबंधी शिकायत वाली समिति निविदा हेतु पात्र नही होंगे।
11. गुणवत्ता संबंधी शिकायत वाली समिति निविदा हेतु पात्र नही होंगे।
12. निविदाकार को प्रत्येक घर में डोर टू डोर कचरा संग्रहण अनिवार्य रूप से करना आवश्यक होगा तथा डोर टू डोर कचरा संग्रहण के कार्य के युजर चार्ज की वसूली कर निगम कोष में जमा करना होगा।
13. निविदाकार को दर अपने वाहन (ढक्कर) सहित व निगम द्वारा उपलब्ध कराने की दशा में निविदा में दर पृथक–पृथक प्रस्तुत करना होगा।
14. निगम द्वारा वाहन उपलब्ध कराने पर निविदाकार को डीज़ल, चालक, रख–रखाव व अन्य वाहन से संबंधित कार्य निविदाकार को करना होगा। जिस दशा में निविदकार को वाहन उपलब्ध करायी जायेगी उसी दशा में निविदा तिथि समाप्त होने पर वाहन उपलब्ध कराना होगा अन्यथा आपकी अमानती राशि एवं सुरक्षा निधि राशि राजसात की जावेगी।
15. ऐसी संस्था/समिति/महिला स्व सहायता समूह जिसे नगर निगम शिकायत के आधार पर अमानत राशि राजसात् करते हूए कार्य मुक्त किया गया हो निविदा में भाग लेने हेतु अपात्र होंगे।

Scanned by CamScanner

16. वार्ड से निकलने वाले समस्त कचरों को ट्रेंचिगं ग्राउण्ड तक परिवहन की जिम्मेदारी ठेकेदार की होगी। निगम द्वारा वाहन उपलब्ध कराने पर निर्धारित शुल्क आपके देयक से प्रतिमाह कटौती की जायेगी।

17. आवश्यकता पडने पर निगम सीमांतर्गत किसी भी क्षेत्र में कार्य लिया जा सकेगा।

18. सफल निविदाकार को उपस्थिती पंजी संधारण करना होगा जिसे प्रतिदिन सफाई दरोगा से सत्यापन कराना होगा।

19. सफाई संबंधी सामग्री रापा, झाडू, टोकना, हाथठेला, कीटनाशक दवाईयां, जलशुद्धिकरण के लिए उपयोग में आने वाली सामग्री आदि की व्यवस्था सफल निविदाकार को स्वयं करना होगा।

20. प्रत्येक वार्ड में नियमानुसार सफाई कर्मचारी व सुपर वाईज़र रखना होगा प्रत्येक वार्डो में निम्नानुसार सफाई कर्मचारी रखना होगा वार्ड क्रमांक 20 में 7, वार्ड क्रमांक 47 में 5, वार्ड क्रमांक 49 में 5, वार्ड क्रमांक 50 में 5, वार्ड क्रमांक 51 में 5 कर्मचारी रखना अनिवार्य होगा।

21. सफल निविदाकार को संबंधित वार्ड के कार्यो के संपादन हेतु एक–एक सुपरवाईज़र जो पढ़े लिखे हो जो श्रमिकों से कार्य लेने की क्षमता रखता हो एवं जिसके पास मोबाईल होना आवश्यक है।

22. सफल निविदाकार द्वारा नियुक्त सुपरवाईज़र को प्रतिदिन 4.00 बजे स्वास्थ्य विभाग में आना होगा व प्रतिदिन वार्ड में किये गये कार्य का विवरण देकर अगले दिन का कार्य आदेश प्राप्त करना होगा।

23. वार्ड में किये गये कार्यो का सत्यापन वार्ड पार्षद तथा संबंधित क्षेत्रों के नागरिकों से कराना होगा।

24. निविदा दरें मासिक आधार पर देना होगा।

25. दुर्घटना आदि होने पर चिकित्सा/मुआवजा सफल निविदाकार को देना होगा। नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव की कोई जिम्मेदारी नही होगी।

26. किसी भी स्थिति में श्रमिक, नगर पालिक निगम, में नौकरी का दावा नही करेंगे श्रमिक सफल निविदाकार के अधीन रहेंगे।

27. सफल निविदाकार को नुवान, फिनाईल, गैमग्जीन एवं अन्य कीटनाशक दवाईयों का छिडकाव स्वयं के व्यय से सप्ताह में दो दिन बुधवार व शनिवार को करना होगा। सत्यापन स्वास्थ्य निरीक्षक से कराया जाना होगा।

28. नाली सफाई नाली के तल्ले तक की लद्दी **(सिल्ट)** साफ करना होगा। आवश्यकतानुसार गहरा करना होगा।

29. कच्ची नाली पानी का ढाल देते हुए साफ करना होगा। आवश्यकतानुसार गहरा भी करना होगा।

30. ठेका वार्ड के सुपरवाईज़र को मोबाईल चालू हालत में रखना होगा।

Scanned by CamScanner

31. सफल निविदाकार को सूचना प्राप्ति के तीन दिनों के अंदर 50.00/–(पचास रूपये) के नान ज्युडिशियल स्टाम्प पर अनुबंध करना आवश्यक होगा।

32. कार्यरत् कर्मचारियों की ई.पी.एफ. एवं एल.आई.सी. की राशि निविदाकार को जमा करना होगा अर्थात् श्रमिकों के वेतन से 12 प्रतिशत् ई.पी.एफ. एवं 1.75 प्रतिशत् एल. आई.सी. की कटौती की जायेगी तथा ठेकेदार द्वारा 13.61 प्रतिशत् ई.पी.एफ. व 3.75 प्रतिशत् एल.आई.सी. को मिलाकर कुल 25.61 प्रतिशत् ई.पी.एफ. व 5.5 प्रतिशत् एल. आई.सी. की राशि कर्मचारी के खाते में जमा करना होगा, तत्पश्चात् भुगतान की कार्यवाही की जावेगी। जमा नही करने पर चलित देयक से उक्त राशि की कटौती की जायेगी। जिसकी संपुर्ण जवाबदारी ठेकेदार की होगी। श्रमिकों का भुगतान बैंक के माध्यम से कराना होगा।

33. समय–समय पर आयुक्त/स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा निर्देशित वार्ड से संबंधित जानकारी एवं सर्वे कार्य निविदाकार को कराया जाना अनिवार्य होगा।

34. सफाई श्रमिकों की हाजिरी बायोमैट्रिक मशीन से लेना अनिवार्य होगा पश्चात् देयक का भूगतान किया जावेगा।

35. निविदाकार को उस वार्ड में कार्यरत् प्लेसमेंट कर्मचारियों को ही सफाई कार्य हेतु रखना अनिवार्य होगा।

36. किसी भी विवाद की स्थिती में आयुक्त, नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव का निर्णय अंतिम व मान्य होगा। इस संबंध में किसी भी प्रकार के दावा/अपील ग्राहय नही किये जावेंगे।

29/11/14

आयुक्त
नगर पालिक निगम, राजनांदगाँव

Scanned by CamScanner